

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731] No. 731] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2018/आश्विन 19, 1940 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

# श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1021(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारुप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 605(अ), तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था:

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 6 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अविध के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) उक्त नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

5976 GI/2018 (1)

- 2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 21 के उपनियम (1) में, --
  - (i) परंतुक में शब्दों "कोई ऐसी बैंक" के स्थान पर "सरकारी अभिकरण कारबार के लिए प्राधिकृत कोई अनुसूचित बैंक" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

**"स्पष्टीकरण**.–(क) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980का 40) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है;

- (ख) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 में निर्दिष्ट और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है;
- (ग) "सरकारी अभिकरण कारबार के लिए प्राधिकृत बैंक" से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या एस- 11021/1(20)/आरएलवाई/2008/आरबीडी/2018, तारीख 7 दिसंबर, 2016 द्वारा अधिसूचित बैंक अभिप्रेत है।"।

[फा. सं. एस-38025/03/2015-एसएस-I (Pt)]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पण**: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसचूना सं. का.नि.आ. 212, तारीख 22 जून, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसचूना सं. सा.का.नि. 650(अ), तारीख 16 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

# MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

**G.S.R.** 1021(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 605(E), dated the 3<sup>rd</sup> July, 2018, as required by sub-section (1) of the section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 6<sup>th</sup> July, 2018;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Second Amendment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 21, in sub-rule (1),—
  - (i) in the proviso, for the words "any such bank", the words "any scheduled bank authorised for Government agency business" shall be substituted;

(ii) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:—

**Explanation.**—(a) "Nationalised Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

- (b) "scheduled bank" means a scheduled bank referred to in section 42 and specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (c) "authorised bank for Government agency business" means banks notified by the Department of Expenditure in the Ministry of Finance *vide* office memorandum number S-11021/1(20)/Rly/2008/RBD/2018, dated the 7<sup>th</sup> December, 2016, as amended from time to time.'

[F. No. S-38025/03/2015-SS-I(Pt)]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22<sup>nd</sup> June, 1950 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 650(E), dated the 16<sup>th</sup> July, 2018.